राजकीय पॉलिटेक्निक सिवान

(बिहार सरकार के विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक राजकीय संस्थान)

छात्रावास आवंटन हेतु आवेदन पत्र

(कृपया स्पष्ट एवं सुपाठ्य अक्षरों में भरें)

स्वअभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज़ फोटो चिपकाएं

कमरा संख्या: ______________________________ *(कार्यालय द्वारा आवंटित की जाएगी)*

आवेदन संख्या / दिनांक: ______________________________

अ. व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक विवरण

छात्र का नाम		लिंग	
क्रमांक (रोल नंबर)		प्रवेश वर्ष	
पिता का नाम		Blood Group	
माता का नाम			
शाखा / ट्रेड			

ब. संपर्क एवं आवासीय विवरण

वर्तमान आवासीय पता	
स्थायी पता (यदि भिन्न हो)	
संपर्क नंबर (छात्र, मोबाइल)	
संपर्क नंबर (अभिभावक)	
ईमेल आईडी (छात्र/ अभिभावक)	
जिला / प्रखंड / थाना	
संस्थान से अनुमानित दूरी (किमी में)	

(सिवान जिले के छात्रों के लिए) कृपया गूगल मैप्स (Google Maps) का उपयोग कर सबसे कम/छोटी सड़क दूरी दर्ज करें। सत्यापन के समय यदि भरी गई दूरी गलत पाई जाती है, तो आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है।

स. भुगतान विवरण

(शुल्क/छात्रावास शुल्क रसीद की मुद्रित प्रति संलग्न करें)

भुगतान का माध्यम (नेट बैंकिंग/यूपीआई/चालान)			
भुगतान राशि (रु.)		भुगतान की तिथि	
रसीद / यूटीआर संख्या			
भुगतान का मद (कमरा किराया / मेस अग्रिम / जमानत राशि)			

हम एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि उपरोक्त सभी जानकारी हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है, तथा हम समझते हैं कि कोई भी गलत जानकारी देने पर छात्रावास आवंटन रद्द किया जा सकता है।

(छात्र के हस्ताक्षर) **(अभिभावक / संरक्षक के हस्ताक्षर)**

दिनांक:

राजकीय पॉलिटेक्निक सिवान

(बिहार सरकार के विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक राजकीय संस्थान)

छात्रावास आवास हेतु वचन-पत्र (Undertaking)

(छात्र एवं अभिभावक/संरक्षक दोनों द्वारा ध्यानपूर्वक पढ़कर संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित किया जाए)

बिहार सरकार के विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग; बिहार राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद (एसबीटीई); अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई); तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम संबंधी यूजीसी विनियम, 2009 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं नियमों के अनुपालन में, हम अधोहस्ताक्षरी छात्र एवं अभिभावक/संरक्षक संयुक्त एवं पृथक रूप से निम्नलिखित वचन देते हैं:

1. रैगिंग-विरोधी वचन (अनिवार्य)

1. हमने उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम संबंधी यूजीसी विनियम, 2009 तथा बिहार रैगिंग निषेध अधिनियम के प्रावधानों को पढ़ और समझ लिया है। **हम समझते हैं कि किसी भी प्रकार की रैगिंग - मौखिक, शारीरिक, मानसिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक/सोशल मीडिया के माध्यम से - एक दंडनीय अपराध है तथा छात्रावास एवं संस्थान परिसर के भीतर व बाहर पूर्णतः प्रतिबंधित है।**
2. **मैं किसी भी प्रकार की रैगिंग गतिविधि में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कभी संलिप्त नहीं होऊंगा/होऊंगी, न ही उसे प्रोत्साहित करूंगा/करूंगी अथवा मूकदर्शक बनूंगा/बनूंगी।**
3. हम पुष्टि करते हैं **कि यदि छात्र रैगिंग का दोषी पाया जाता है, तो वह रैगिंग-विरोधी समिति द्वारा निर्धारित दंड का भागी होगा, जिसमें छात्रावास से निष्कासन, परीक्षा से वंचन, निष्कासन (rustication) अथवा संस्थान से निष्कासन शामिल हो सकता है**।

2. सामान्य आचरण एवं अनुशासन

4. **मैंने छात्रावास के नियम पढ़ लिए हैं और उनका शब्दशः तथा भावनात्मक रूप से पालन करूंगा/करूंगी, जिसमें छात्रावास प्रशासन द्वारा भविष्य में संशोधित अथवा निर्मित नियम भी शामिल होंगे।**
5. मैं छात्रावास अथवा संस्थान परिसर में किसी टकराव, झगड़े, विवाद अथवा अनुशासनहीनता के कार्य में लिप्त नहीं होऊंगा/होऊंगी। मैं समझता/समझती हूं कि उपरोक्त किसी भी विषय पर छात्रावास प्रशासन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा, तथा मैं उसका पूर्ण सम्मान करूंगा/करूंगी।
6. मैं सदैव छात्रावास परिसर में उचित अनुशासन बनाए रखूंगा/रखूंगी। अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार अथवा सहपाठियों को परेशान करने वाले किसी भी कृत्य को सहन नहीं किया जाएगा।
7. मैं छात्रावास अथवा संस्थान परिसर में शराब, तंबाकू, गुटखा अथवा किसी भी मादक/नशीले पदार्थ का सेवन, कब्जा अथवा वितरण नहीं करूंगा/करूंगी। छात्रावास में धूम्रपान पूर्णतः वर्जित है।

3. उपस्थिति, समय-सारणी एवं आवागमन

8. प्रत्येक छात्र को सभी कक्षाओं में **न्यूनतम 75% उपस्थिति बनाए रखनी होगी**। **75% उपस्थिति बनाए रखने में असफल छात्रों को छात्रावास में बने रहने की अनुमति नहीं होगी।**
9. कक्षा के समय, अर्थात **प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक, किसी भी छात्र को छात्रावास के अंदर रुकने की अनुमति नहीं है**। इस अवधि में छात्रावास के कमरे बंद (locked) रहने चाहिए। **मैं प्रतिदिन निर्धारित गेट-बंदी समय तक छात्रावास में उपस्थित रहूंगा/रहूंगी** तथा जहां लागू हो, वार्डन द्वारा संधारित विलंब-प्रवेश/उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करूंगा/करूंगी।
10. **मैं वार्डन की पूर्व लिखित अनुमति के बिना रात्रि में अथवा अवकाश के दौरान छात्रावास/स्थान नहीं छोड़ूंगा/छोड़ूंगी, जिसकी सूचना मेरे अभिभावक को भी दी जाएगी, तथा इसे छात्रावास रजिस्टर में दर्ज करूंगा/करूंगी।**

4. संपत्ति, सुरक्षा एवं रखरखाव

11. **मैं छात्रावास की किसी भी संपत्ति, जैसे फर्नीचर, विद्युत उपकरण, दरवाजे, खिड़कियां, पंखे एवं लाइट को क्षति नहीं पहुंचाऊंगा/पहुंचाऊंगी। किसी भी क्षति की भरपाई संबंधित छात्र(छात्रों) से की जाएगी, तथा यदि व्यक्ति की पहचान न हो सके तो संपूर्ण कमरे/विंग से सामूहिक रूप से वसूली की जाएगी।**
12. **मुझे छात्रावास कक्ष में इस्त्री, हीटर, अतिरिक्त पंखा अथवा इंडक्शन कुकटॉप जैसे किसी भी विद्युत उपकरण के उपयोग की अनुमति नहीं है।** अग्नि सुरक्षा के हित में केवल छात्रावास द्वारा उपलब्ध कराए गए एक सीलिंग फैन एवं एक ट्यूबलाइट का ही उपयोग किया जा सकता है।
13. **मैं छात्रावास कक्ष में भोजन नहीं पकाऊंगा/पकाऊंगी, न ही कोई ज्वलनशील सामग्री रखूंगा/रखूंगी, तथा संस्थान द्वारा आयोजित समय-समय पर अग्नि-सुरक्षा निरीक्षण एवं मॉक ड्रिल में सहयोग करूंगा/करूंगी।**

14. **मैं संस्थान/छात्रावास की संपत्ति अथवा सहपाठियों के सामान की जानबूझकर क्षति अथवा चोरी-छिपे हटाने में लिप्त नहीं होऊंगा/होऊंगी, तथा पुस्तकालय की पुस्तकों अथवा अन्य संस्थागत संसाधनों का दुरुपयोग अथवा विरूपण नहीं करूंगा/करूंगी।**
15. **वार्डन/मुख्य वार्डन/प्राचार्य की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी छात्र के कमरे में किसी बाहरी व्यक्ति/आगंतुक के प्रवेश की अनुमति नहीं है। अनुमति मिलने पर आगंतुक केवल निर्धारित आगंतुक क्षेत्र में ही मिल सकते हैं तथा रात्रि विश्राम नहीं कर सकते। उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।**
16. **इसके अतिरिक्त, मेरे अभिभावक/मैं छात्रावास परिसर में कोई कार/मोटरसाइकिल/स्कूटर अथवा अन्य मोटर वाहन लाने/रखने की अनुमति नहीं देंगे।**
17. **मैं अपने कमरे एवं आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखूंगा/रखूंगी तथा कचरे का निपटान केवल निर्धारित डस्टबिन में करूंगा/करूंगी, तथा छात्रावास के सफाई एवं स्वच्छता कर्मचारियों को सहयोग करूंगा/करूंगी।**
18. **मैं छात्रावास एवं संस्थान परिसर में सदैव अपना संस्थान पहचान पत्र (आईडी कार्ड) साथ रखूंगा/रखूंगी एवं वार्डन अथवा सुरक्षा कर्मियों द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करूंगा/करूंगी।**

5. वित्तीय वचन

19. **मैं आवास शुल्क, मेस बिल, जमानत राशि/सुरक्षा जमा तथा अन्य देय राशियां संस्थान द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार अदा करूंगा/करूंगी। ऐसा न करने पर मैं विलंब-भुगतान दंड संबंधी नियमों एवं विनियमों का पालन करूंगा/करूंगी तथा मेरी छात्रावास सीट रद्द किए जाने के लिए उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी।**

6. चिकित्सा एवं आपातकालीन प्रावधान

20. **छात्रावास प्रवास के दौरान किसी चिकित्सीय समस्या की स्थिति में, यदि वार्डन अथवा कोई कर्मचारी छात्र की चिकित्सीय जांच अथवा उपचार की व्यवस्था करता है, तो समस्त चिकित्सा व्यय छात्र के अभिभावक/संरक्षक द्वारा वहन किया जाएगा। संस्थान केवल प्राथमिक उपचार प्रदान करेगा तथा अभिभावकों को तुरंत सूचित करेगा।**
21. मैं छात्र की किसी पूर्व-विद्यमान चिकित्सीय स्थिति, एलर्जी अथवा दिव्यांगता के बारे में वार्डन को तुरंत सूचित करूंगा/करूंगी ताकि आपातकाल की स्थिति में उचित देखभाल की जा सके।

7. अनुपालन एवं शिकायत निवारण

22. **मैं/हम छात्रावास नियम पुस्तिका तथा छात्रावास प्रशासन द्वारा समय-समय पर सुरक्षा, स्वच्छता एवं अनुशासन के संबंध में जारी सभी निर्देशों/आदेशों का पालन करूंगा/करेंगे। नियमों की अनभिज्ञता को बहाने के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।**
23. **प्रथम वर्ष की छात्राओं हेतु सीमित क्षमता के कारण, एक ही सिंगल कमरे में अधिकतम चार छात्राओं को अस्थायी सुविधा के रूप में आवंटन किया जा सकता है, जिन्हें अन्य सभी नियमों के अनुपालन के अधीन छात्रावास में रहने की अनुमति होगी।**
24. **मैं समझता/समझती हूं कि उपरोक्त किसी भी वचन के उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें चेतावनी, जुर्माना, छात्रावास से निष्कासन, परीक्षा से वंचन, निर्धारित अवधि के लिए निष्कासन (rustication) अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णित संस्थान से पूर्ण निष्कासन शामिल हो सकता है।**

हम एतद्द्वारा दृढ़तापूर्वक पुष्टि करते हैं कि हमने उपरोक्त वचन-पत्र को पूर्णतः पढ़ एवं समझ लिया है तथा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिवान के छात्रावास में छात्र के संपूर्ण प्रवास काल हेतु इससे बाध्य रहने के लिए सहमत हैं।

छात्र का नाम		**रोल नंबर**	
अभिभावक/संरक्षक का नाम		**मोबाइल नंबर**	
स्थान	**G P Siwan, Bawandih, Chainpur-841203**	**दिनांक**	

(छात्र के हस्ताक्षर) **(अभिभावक / संरक्षक के हस्ताक्षर)**

नोट: नोटरीकृत रैगिंग-विरोधी शपथ-पत्र एवं छात्रावास आवंटन आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस हस्ताक्षरित वचन-पत्र के बिना छात्रावास आवंटन की पुष्टि नहीं की जाएगी।